न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या : 13/2025
दायर दिनांक : 23.04.2025
निर्णय दिनांक : 02.01.2026

1. भोरा पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा, निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा
2. गोपाल पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा, निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा
3. बाबूलाल पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा, निवासी ग्राम जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्री छोटू जाति बैरवा, निवासी म.नं. डी–396 मंगोलपुरी दिल्ली (हज्फ)
2. कृष्णा पुत्री भोमा जाति बैरवा, निवासी म.नं. डी–396 मंगोलपुरी दिल्ली (हज्फ)
3. कान्ता पुत्री धन्ना जाति बैरवा, निवासी म.नं. डी–514 गली नम्बर 10 मंगोलपुरी दिल्ली
4. रूपचन्द पुत्र गंगासहाय जाति बैरवा, निवासी रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
5. रामचन्द्र पुत्र गंगासहाय जाति बैरवा, निवासी रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (हज्फ)
6. मंजू देवी पुत्री गंगासहाय व जमना पत्नी छोटेलाल जाति बैरवा, निवासी रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (हज्फ)
7. बुद्धि पुत्री गंगासहाय व जमना पत्नी रामनारायण जाति बैरवा, निवासी रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (हज्फ)
8. धापा पत्नी धन्ना जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
9. नाथू पुत्र कन्हैया जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
10. भौरीलाल पुत्र ग्यारसा पुत्र प्रभाती जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
11. गोपाल पुत्र ग्यारसा पुत्र प्रभाती जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
12. बाबूलाल पुत्र ग्यारसा पुत्र प्रभाती जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
13. बाबूलाल पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
14. केशीष पुत्र बिशनदास जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
15. मोहित कुमार पुत्र बिशनदास जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
16. दीपू पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
17. सुनील पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
18. रिंकू पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
19. रोकी पुत्र मोहनलाल जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
20. विधा बेवा मोहनलाल जाति बैरवा निवासी मं.नं. ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
21. रमेशचन्द पुत्र धन्ना जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
22. रमेशचन्द पुत्र भोमा जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
23. राकेश्या पुत्र धन्ना जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
24. राधेश्याम पुत्र छोटू जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
25. रामजीलाल पुत्र छोटू जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली
26. धर्मा देवी बेवा रामनारायण जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
27. पवनकुमार पुत्र रामनारायण जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

28. सुनीता पुत्री रामनारायण पत्नी छाजूराम जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
29. रेखा पुत्री रामनारायण जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
30. शान्ति पत्नी कन्हैया जाति बैरवा, निवासी मंगोलपुरी ई–568 नई दिल्ली (हज्फ)
31. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 527 रकबा 0.94 है॰ किस्म बारानी वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा में स्थित है। सहखातेदार जमना पुत्री ग्यारसा व खातेदार प्रभाती पत्नी ग्यारसा, बिशनदास पुत्र छोटू, मोहनलाल पुत्र भोमा एवं रामनारायण पुत्र भोमा की मृत्यु हो गई है। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 जमना के उत्तराधिकारी हैं एवं अन्य मृत्तक खातेदार के वारिसान को अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण एवं सहखातेदारान द्वारा उपरोक्त आराजी को मनबट से विभाजित कर रखा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर रिहायशी मकान बना रखे हैं जिसमें निवास करते आ रहे हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 30 काफी समय से दिल्ली में निवास करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी का विभाजन पक्षकारान के बीच नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 30 अन्य लोगों के बहकावे में आकर बिना भूमि का विभाजन कराये ही विशिष्ट भू–भाग का बेचान करना चाहते हैं तथा प्रार्थीगण से भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से वादग्रस्त भूमि का विभाजन आपसी सहमति से करवाने हेतु दिनांक 09.04.2025 को कहा किन्तु अप्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त का आपसी सहमति से विभाजन करवाने को तैयार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 30 आराजी वादग्रस्त में अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने को भी प्रयासरत हैं। वे आराजी वादग्रस्त का विभाजन करवाये बगैर ही विशिष्ट भू–भाग को विक्रय करने को प्रयासरत हैं। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 30 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 30 को इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 527 रकबा 0.94 है॰ वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा के विभाजन बिना किसी विशिष्ट भू–भाग का हस्तान्तरण नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पर अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 लगायत 24, 26 लगायत 30 के नाम प्रकरण से डिलीट (हज्फ) किये गये। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 25 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पर अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 लगायत 24, 26 लगायत 30 के नाम प्रकरण से डिलीट (हज्फ) किये जा चुके हैं। अतः प्रकरण का निस्तारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4, 25 के मध्य किया जा रहा है। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2070–2073 (वर्ष 2019 से स्थायी) का अवलोकन करने पर ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

आराजी खसरा नम्बर 527 रकबा 0.94 है॰ संयुक्त खातेदारी भूमि होना प्रमाणित होती है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 प्रत्येक हिस्सा 1/25 के खातेदार एवं अप्रार्थी संख्या 25 हिस्सा 1/30 का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। अतः वादग्रस्त आराजी की आंशिक खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 25 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 3 व 25 के पक्ष में अंशतः साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** : वादग्रस्त आराजी की आंशिक खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 25 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त पक्षकारों के अतिरिक्त और भी खातेदार हैं, जो कि वादग्रस्त आराजी में संयुक्त रूप से अपना हिस्सा रखते हैं। किन्तु वकील प्रार्थी की प्रार्थना पर अधिकांश खातेदारों/पक्षकारों के नाम प्रकरण से डिलीट (हज्फ) किये जा चुके हैं। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 3 व 25 के पक्ष में अंशतः साबित होता है।
3. **अपूर्णीय क्षति** : प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 25 के पक्ष में अंशत साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 25 के पक्ष में अंशतः निर्धारित किया जाता है।

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 25 के पक्ष में पूर्णतः साबित न होकर अंशतः साबित होता है। प्रश्नगत आराजी वर्तमान में अविभाजित आराजी है, जिसके विभाजन के संबंध में दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। इस प्रकार अविभाजित प्रश्नगत आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना उन खातेदारों/पक्षकारों को अधिक असुविधाजनक होगा जिनका नाम इस प्रकरण में तलबी पूर्व ही डिलीट (हज्फ) किया जा चुका है। अविभाजित प्रश्नगत आराजी पर अन्तिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिये जाने से पूर्व अविभाजित प्रश्नगत आराजी के समस्त खातेदारों/प्रभावित पक्षकारों को न्यायहित में सुना जाना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थी संख्या 3 व 25 के हिस्से को वर्तमान में अविभाजित प्रश्नगत आराजी के मौके पर किसी विशिष्ट स्थान पर निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)